

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने 02, थाना को0 नगर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश यादव पुत्र भल्लर यादव नि0ग्राम मलौनी थाना छावनी जनपद बस्ती व सरजू सोनकर पुत्र पितई सोनकर नि0 गनेशपुर ग्रन्ट मौजा पुरैना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 2.8 कि0ग्रा0 यूरिया, 800 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-306/21, धारा 272 भादवि, 60/60(2) आबकारी अधि0, 02. बाबू पुत्र सैहबू नि0 ग्राम माथेपुर खटिकनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-307/21, 03. रामदेव कोरी पुत्र अलगू कोरी नि0ग्राम अढमलपुर बहदग्राम बेईलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-308/21, 04. बब्बन पुत्र बेकारू नि0ग्राम अढमलपुर बहदग्राम बेईलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-309/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामउजागर वर्मा उर्फ करिया पुत्र घुरहू नि0 गायघाट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-254/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कमलेश तिवारी पत्नी भोलू नि0 खटकहिया अमवा मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-274/21, 02. चन्द्रपाल सिंह वर्मा पुत्र चेताराम नि0 तारपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-275/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीलू पत्नी जगदेव उर्फ गोली नि0 ग्राम नरौना अर्जुन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-341/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननकू सोनकर पुत्र राम मनोहर सोनकर नि० ग्राम भटपुरवा मौजा बनवरिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—709/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वैजनाथ पुत्र रामचन्द्र नि० नउवन पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—247/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 12.09.2021

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त महेश वर्मा उर्फ बाधू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. महेश वर्मा उर्फ बाधू पुत्र लक्ष्मण वर्मा नि० भवनियापुर खुर्द थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-314/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० शिवलखन सिंह मय टीम।